

**कार्यालय जिला योजना अधिकारी (जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय) विदिशा**  
सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा-4 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी

1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	जिले में जिला योजना समितियों का गठन एवं अंत्योदय दीनदयाल समितियों के गठन से संबंधित कृत्य				
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	1.	विधानसभा स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों का संधारण			
		2.	संसदीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत सांसदों द्वारा अनुशंसित एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों का संधारण उनके द्वारा प्रदत्त निधि अनुसार किया जाकर निधियों का निर्गमन। जिला सांख्यिकी से संबंधित समकों के कार्य का संग्रह एवं			
		3.	संचालनालय की ओर उनका प्रेषण।			
		4.	सीएसओ द्वारा दिये गये सर्वेक्षण कार्यों का समय-समय पर संपादन एवं मॉनिटरिंग का कार्य।			
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं	जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी विकासखण्ड अन्वेषक- विकासखण्ड स्तर पर लोक सूचना अधिकारी				
		क्रं.	वि.खं. का नाम	विकासखण्ड अधिकारी/प्रभारी का नाम	मोबाईल नं.	रिमांक
		1	2	3	4	5
		1	विदिशा	श्री मोहन प्रसाद प्रजापति	9755117967	—
		2	बासौदा	श्री हेमंत कुमार निरापुरे	9425659371	—
		3	कुरवाई	श्री दीपक भारतीय	9826443787	—
		4	नटेरन	पद रिक्त	—	—
		5	सिरोंज	पद रिक्त	—	—
		6	ग्यारसपुर	पद रिक्त	—	—
7	लटेरी	पद रिक्त	—	—		
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	निरंक				
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	संचालनालय एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश मध्यप्रदेश कर्मचारी आचरण संहिता एवं अन्य अनुदेश				
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं। प्रवर्गों का विवरण	जिले में कार्यरत कार्यालय के समस्त कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली एवं उनके समस्त प्रकरणों का निराकरण समस्त कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के संधारण के कार्य				
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीती की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं	लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन				

निरंतर.....2

8	ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बार में कि क्या बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी। या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त प्रतिकर प्रणाली भी है	निरंक
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	शासन के आदेशों के अनुरूप
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतीक प्रणाली भी है जो उस विनियमों में यथा उपबंधित हो	निरंक
11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपॉर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	निरंक
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है	माननीय विधायकों द्वारा स्वेच्छानुदान के लिये अनुशांसित की गई राशि का निर्गमन
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां	आवेदनकर्ता द्वारा कार्यालय से संबंधित जो भी जानकारी चाही जाती है कार्यालय में उपलब्धता के आधार पर प्रदान करा दी जाती है
14	किसी इलेक्ट्रनिक रूप में सूचना के ब्योरे जो उसको उपलब्ध हों या धारित हों	नहीं
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण के घंटे सम्मिलित है	कार्यालयीन समय में
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिला स्तर पर श्री पीके मिश्रा लोक सूचना अधिकारी</li> <li>2. जिला स्तर पर श्री मोहन प्रसाद प्रजापति सहायक लोक सूचना अधिकारी</li> </ol>
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये	निरंक

*b. Anand*  
 जिला योजना अधिकारी,  
 विदिशा म0प्र0